# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 71 / 2022**

लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड, मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 2 डी, एफ एल टावर, गोपीनाथ मार्ग, एम आई रोड, जयपुर 302001

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री ग्यारसी लाल सैन, पता— वार्ड नं0 18, केशवराय मन्दिर के पास, मोहल्ला केशवराय जी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
2. पंकज कुमार सैन पुत्र श्री ओम प्रकाश सैन, पता— वार्ड नं0 18, केशवराय मन्दिर के पास, मोहल्ला केशवराय जी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
3. संतोष देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश सैन, पता— वार्ड नं0 18, केशवराय मन्दिर के पास, मोहल्ला केशवराय जी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
4. गजेन्द्र सैन पुत्र श्री ओमप्रकाश सैन, पता— वार्ड नं0 18, केशवराय मन्दिर के पास, मोहल्ला केशवराय जी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
5. दीपक सैन पुत्र श्री ओम प्रकाश सैन, पता— वार्ड नं0 18, केशवराय मन्दिर के पास, मोहल्ला केशवराय जी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
6. विष्णु कुमार सैन पुत्र श्री ओम प्रकाश सैन, पता— वार्ड नं0 18, केशवराय मन्दिर के पास, मोहल्ला केशवराय जी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

——

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा ( लक्ष्मी इण्डिया फि0प्रा0लि0 ) — प्रार्थी बैंक की ओर से
2. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

## आदेश

**दिनांक 08.06.2022**

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.15 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीज[illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 [illegible] ने वित्तीय संस्था से दिनांक 31.01.2019 को जरिये लोन खाता संख्या — पी0[illegible] अक्षरे ग्यारह लाख रूपये मात्र का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] उसके सहऋणियों [illegible] ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस स[illegible] पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया ज[illegible] विवरण नीचे वर्णित है

बंधक सम्पत्ति का विवरण

श्री ओमप्रकाश सैन पुत्र श्री ग्यारसी लाल सैन एवं श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश सैन मालिक आबादी प्लॉट पट्टा नं0 97, वार्ड नं0 18, मोहल्ला केशवराय का उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं राजस्थान

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

जिसका क्षैत्रफल 152.60 वर्गगज में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है।

चर्तुसीमा – पूर्व में – रमेश कापडी का मकान
पश्चिम मं – अमरी देवी कुम्हार एवं लक्ष्मण राम नाई का मकान
उत्तर मे – आम रास्ता
दक्षिण में – रामगोपाल दाधीच का मकान

प्रार्थी कम्पनी अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र ( last audited balance sheet) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम 1934 की धारा 45–झ के खंड ( च ) में यथा निर्धारित एक सौ करोड रूपये से अधिक की आस्ति वाली गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी है जिसको केन्द्रीय सरकार ( भारत सरकार ) के वित मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.02.2020 को जारी अधिसूचना का आ 856 ( अ ) के द्वारा पचास लाख रूपए और उससे अधिक तथा दिनांक 12.02.2021 को जारी अधिसूचना का आ 652( अ ) के द्वारा बीस लाख रूपए और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणो के संबंध में प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रयोजनो के लिए वितीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 05.05.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि लोन खाता संख्या – पी0एल0 6493 कुलराशि 20,25,432/– रूपये ( अक्षरे बीस लाख पच्चीस हजार चार सौ बत्तीस रूपये) दिनांक 23.11. 2021 तक शेष व दिनांक 23.11.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं । प्रार्थी ''लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा. लिमिटेड'' ने उक्त एक्ट की धारा 13( 2 ) के अन्तर्गत दिनांक 01.12.2021 को रजि. नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी पुनः देय राशि का भुगतान प्रार्थी ''लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा. लिमिटेड'' को नही दिया। अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी ''लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड'' को नही किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी ''लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड'' उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्योरीटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित सम्पति जिसका विवरण प्रार्थनापत्र की संख्या 2 में दिया गया है का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋ़ण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 के विरूद्व एकपक्षीय सुनवाई की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.15 16:43:12 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहे है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात्

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अप्रार्थी सं0 1 व 3 श्री ओमप्रकाश सैन पुत्र श्री ग्यारसी लाल सैन एवं श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश सैन के मालिकाना हक की सम्पत्ति पट्टा नं0 97, वार्ड नं0 18, मोहल्ला केशवराय का उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं राजस्थान जिसका क्षैत्रफल 152.60 वर्गगज है का पजेशन प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा० लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.15 15:43:12 IST
Reason: SelfAttested